<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249599 CG-DL-E-20102023-249599

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717] No. 717] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2023

फा. सं.एल—1/250/2019/केविविआ.——दिनांक 01.03.2023 को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III, खण्ड 4, सं. 149) में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर—राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के संबंध में अधिसूचना सं.—एल—1/250/2019—केविविआ, दिनांक 07.02. 2023 में, निम्नलिखित संशुद्धियां की गई हैं:

- विनियम 13 के खण्ड (2) के उप—खण्ड (च) के अधीन सारणी I और II की प्रथम पंक्ति के अंतिम कॉलम में ''चरण-1 के अधीन'' शब्दों का विलोप किया जाएगा।
- 2. अनुबंध III खण्ड (1) के उप—खण्ड (च) की अंतिम पंक्ति में, ''विनियम 15 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख)'' शब्दों को ''विनियम 15 के खण्ड (2) के उप—खण्ड (क)'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. अनुबंध-III के खण्ड (2) के अधीन उप—खण्ड (ख)(i) के अधीन फार्मूला में, 'टी' के विस्तारित अर्थ को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

### "टी" माह में समय ब्लाक की संख्या है जिसके लिए टी-जीएनए प्रदान किया गया है।

4. अनुबंध-III के खण्ड (2) के उप—खण्ड (ख)(ii) के अधीन फार्मूला में, ''अधित्याग'' शब्द के विस्तारित अर्थ को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

6679 GI/2023 (1)

"अधित्याग (%) = 100 X (माह में समय ब्लॉकों के लिए एसडीआरटीजी का योग जिसके लिए टी-जीएनए<sub>आरई</sub> में प्रदान किया गया है)/(माह में समय ब्लॉकों की कुल संख्या जिसके लिए टी-जीएनए<sub>आरई</sub> प्रदान किया गया है X 0.3 X टी-जीएनए $_{\text{आरई}}$ )"

हरप्रीत सिंह प्रथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./500/2023-24]

# CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th September, 2023

- **F. No. L-1/250/2019/CERC.**—In the notification No. L-1/250/2019/CERC dated 07.02.2023 regarding the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (First Amendment) Regulations, 2023, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 149) on 01.03.2023, the following corrections are made:
- 1. The words "under Step-1" in the last column of the first row of Table I and Table II under subclause (f) of Clause (2) of Regulation 13 shall be deleted.
- 2. In the last line of sub-clause (f) of Clause (1) of Annexure III, the words "sub-clause (b) of Clause (2) of Regulation 15" shall be substituted with the words "sub-clause (a) of Clause (2) of Regulation 15".
- 3. In the formula under sub-clause (b)(i) under Clause (2) of Annexure-III, the expanded meaning of 'T' shall be read as under:
  - "T" is the number of time blocks in a month for which T-GNA has beengranted
- 4. In the formula under sub-clause (b)(ii) of Clause (2) of Annexure-III, the expanded meaning of the word "Waiver" shall be read as under:
  - "Waiver (%) = 100 X (sum of SDRTG for the time blocks in the month for which T-GNA<sub>RE</sub> has been granted) / (total number of time blocks for which T-GNA<sub>RE</sub> has been granted in the month X 0.3 X T-GNA<sub>RE</sub>)"

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./500/2023-24]